भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 334

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

जाति प्रमाणपत्र

334. श्री राकेश राठौरः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सीतापुर और अन्य जिलों के पाल, बघेल और धनगर समुदायों, जो मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि में लगे हुए हैं, की जातिगत पहचान जिला-वार भिन्न-भिन्न है जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी करने के संदर्भ में उनमें भिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पाल, बघेल और धनगर समुदायों को पूरे उत्तर प्रदेश में समान रूप से अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): पाल, बघेल और धनगर (धंगड़) समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जातियों के राष्ट्रपति आदेश में नहीं हैं। जबकि, धंगड़ को पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र केवल उस समुदाय के सदस्यों के लिए जारी किए जाते हैं जो संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल होते हैं।

*****